Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (JD) Examination - 2016

No. of Printed Pages : 8

CJJ-04

2016

विधि – II (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)

LAW – II (Evidence and Procedure)

निर्धारित समय : तीन घण्टे] *[पूर्णांक : 200*

Time allowed : Three Hours] *[Maximum Marks : 200*

नोट : *अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है तथा अन्य* **चार** *प्रश्न करने हैं । प्रत्येक खण्ड से* **एक** *प्रश्न करना अनिवार्य है । कुल* **पाँच** *प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं । हालाँकि सभी प्रश्नों के समान अंक हैं ।* **एक** *प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यत: एक साथ दिया जाय ।*

Note : *Candidates should attempt Question No.* **1** *as compulsory and* **four** *more. At least* **one** *question must be attempted from each section. In all* **five** *questions are to be answered. Marks carried by each question have been indicated against the question. However, all questions carry equal marks. The parts of same question must be answered together.*

1. महाचन्द की पत्नी दयावती गतिमान सर्कस की मालिक थी । सूर्यवीर, गतिमान सर्कस के प्रबन्धक के रूप में विभिन्न स्थानों पर सर्कस के संचालन व प्रबन्धन का कार्य देखता था । दिनांक 15-01-2014 को हरिद्वार में दर्शकों के लिए गतिमान सर्कस लगाया गया । अभयकान्त हरिद्वार में पंसारी की दुकान चलाता था । साथ ही वह लोगों को पंजीकृत रूप से उधार पर धन देने का व्यवसाय भी करता था । सर्कस के चलने की अवधि में सूर्यवीर, नित्य प्रतिदिन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु अभयकान्त की दुकान से आवश्यक खरीददारी किया करता था । उसी अवधि में सूर्यवीर ने अभयकान्त से एक वचन-पत्र पर रु. दस हजार की धनराशि उधार ली तथा सर्कस के कुछ उपकरण गिरवी के रूप में अभयकान्त के कब्जे में रख दिए । दिनांक 19-03-2014 को प्रबन्धन ने गतिमान सर्कस को ऋषिकेश स्थानान्तरित करने की योजना बनायी । सूर्यवीर ने अभयकान्त से सम्पर्क कर यह अनुरोध किया कि वह गिरवी के रूप में रखे सर्कस के उपकरण उसे वापस कर दे तथा सूर्यवीर ने अभयकान्त को यह वचन भी दिया कि वह ऋषिकेश से उसे उधार की धनराशि (ब्याज सहित) का भुगतान भेज देगा । अभयकान्त इस बात से सहमत नहीं हुआ । उसने कहा कि जब तक उसे भुगतान मिल नहीं जाता वह सर्कस के उपकरण वापस नहीं करेगा । उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत महाचन्द ने, जो देहरादून में एक विक्रय व्यवसायी था, अभयकान्त को एक पत्र लिखा कि वह समस्त धनराशि के भुगतान की जमानती लेता है । फिर भी अभयकांत ने सर्कस के उपकरण वापस नहीं किए । ऋषिकेश से किश्तों में भुगतान किए जाने के पश्चात दिनांक 25-05-2014 को अभयकान्त को सम्पूर्ण